I C

## कार्यालय:: महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्या–एम0ई0–3 / यू0जी0–2023 / 2033 लखनऊ दिनांक 29 अगस्त,2023

**यू0पी0नीट यू0जी0 (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0)–2023 के अन्तर्गत द्वितीय चक से आवंटित / पुनरावंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश**

1. राजकीय क्षेत्र की सीटो पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया आवंटित राजकीय / स्वशासी मेडिकल / डेण्टल कालेज / विश्वविद्यालय / संस्थान में पूर्ण की जायेगी।
2. निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजो में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया नोडल सेन्टर पर पूर्ण की जायेगी।
3. *निजी क्षेत्र के कालेजों के लिए आवंटन–प्राप्त अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, (Director General, Medical Education & Training, U.P. payble at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत किया गया हो, नोडल सेन्टर पर जमा किया जाना अनिवार्य है।*
4. पुनरावंटन के पश्चात् आवंटित कालेज एवं प्रथम चक में आवंटित कालेज के शिक्षण शुल्क में यदि किसी प्रकार की भिन्नता अर्थात् शिक्षण शुल्क कम होता है, तो अधिक जमा किये गये शिक्षण शुल्क आवंटित कालेज को प्रेषित कर दी जायेगी, जो कालेज द्वारा कालेज की हास्टल / सिक्योरिटी शुल्क में समायोजित कर ली जायेगी तथा यदि कालेज का शिक्षण शुल्क अधिक होता है, तो अन्तर की धनराशि(**Difference Amount**) का बैंक ड्राफ्ट प्रवेश हेतु निर्धारित नोडल सेन्टर पर जमा कराना होगा।
5. यू0पी0 नीट यू0जी0 2023 की प्रथम चक की कांउसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोडकर नये आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो को प्रवेश के समय निम्नांकित अभिलेख मूलरूप में जमा किया जाना अनिवार्य है:–
    - यू0पी0 नीट यू0जी0 2023 का आवंटन पत्र
    - नीट यू0जी0 2023 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड
    - जन्म–तिथि संबंधी प्रमाण–पत्र
    - हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र
    - आरक्षण से संबंधित प्रमाण–पत्र (आवश्यकतानुसार)
    - डोमिसाइल प्रमाण–पत्र (आवश्यकतानुसार)
    - पहचान पत्र (आधार कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट)
6. प्रथम चक की काउंसिलिंग से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हे द्वितीय चक की काउंसिलिंग में पुनरावंटन नही हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी संबंधित कालेज में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें।
7. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे यू0पी0 नीट यू0जी0–2023 की प्रथम चक की कांउसिलिंग से सीट आवंटित हुयी तथा प्रवेश प्रकिया भी पूर्ण कर ली गयी हो तदोपरान्त द्वितीय चक की काउंसिलिंग में पुनः प्रवेशित कालेज / सीट की च्वाईस फिल कर दी गयी है और उन्हे दिनांक 28.08.2023 द्वारा घोषित परिणाम में पुनः उसी सीट पर

आवंटन प्राप्त हो गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पुनः संबंधित नामित नोडल सेन्टर पर पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रकिया पूर्ण करना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में उनका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

8. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया जाना अनिवार्य है।

9. शैक्षणिक सत्र 2023–24 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र मेडिकल/डेण्टल कालेजो हेतु ***शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क संबंधी शासनादेश तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के फी–स्ट्रक्चर https:upneet.gov.in एवं वेबसाइट www.dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है।***

10. अद्यतन सूचनाओ हेतु विभागीय वेबसाइट ***dgme.up.gov.in*** का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

**(महानिदेशक)**
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0।